

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
शासित भावन, 14-अर्थीक भाग,
लखनऊ 1
=====

संख्या: 3615-अस-17/पाकांले/2005-11 19 एरएल/2003 दिनांक: 8 अगस्त, 2005

कार्यालय - ज्ञाप
=====

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त डिजाइन हार्ट
हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, गोमती नगर, लखनऊ जिसकी मान्यता अग्रे
कॉरपोरेशन के आदेशा संख्या-1760-अस-17/पाकांले/2005, दिनांक 03.5.2005
द्वारा दिनांक 31.3.2007 तक के लिए बढ़ाया जा चुका है, को कॉरपोरेशन के
आदेशा संख्या-4290-अस-17/पाकांले/2003, दिनांक 25.8.2003 द्वारा
अनुमोदित दरों के अनुक्रम में तत्काल प्रभाव से शेन्जियोग्राफी एवम् शेन्जियोप्लास्टी
हेतु निम्नवत् दरें स्तद्वारा स्वीकृत की जाती हैं :-

१११ शेन्जियोग्राफी	-	रु० 11,000/=
११२ शेन्जियोप्लास्टी	-	रु० 70,000/=

यदि उक्त चिकित्सालय में रोगी द्वारा एक बार भर्ती होने पर
शेन्जियोग्राफी एवम् शेन्जियोप्लास्टी एक-साथ कराया जाता है तो उक्त अस्पताल
द्वारा रु० 5000/- की छूट दी जाएगी ।

निदेशांक (कार्मिक प्रवन्धान एवं प्रशासन)

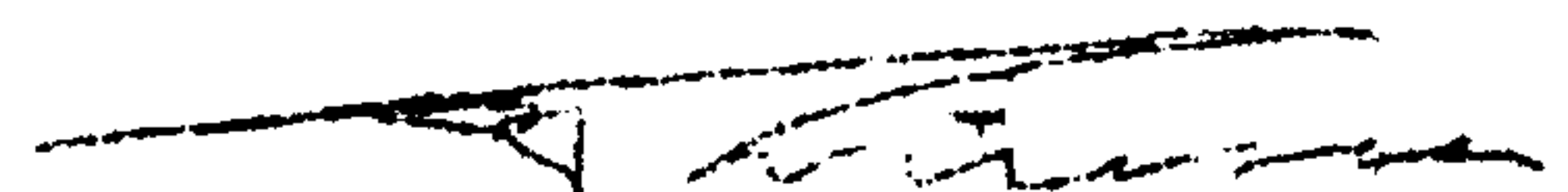
संख्या: 3615-11 अस-17/पाकांले/2005-तद्दिनांक 11

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

- 1- प्रमुखा सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
- 2- मा० ऊर्जा मंत्री जी, उ०प्र० शासन के निजी सचिव ।
- 3- प्रवन्धा निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल,
पारागर्भा/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा ।
- 4- अधुषा, विद्युत सेवा आयोग/जाच समिति-प्रथम व द्वितीय, उ०प्र० पावर
कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
- 5- समस्त मुख्य महाप्रवन्धाक/समस्त महाप्रवन्धाक/मुख्य अध्यापन्ता (जल-विद्युत),
उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ।
- 6- समस्त उप महाप्रवन्धाक/समस्त वारिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी,
उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ।
- 7- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा कन्धा,
उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ।
- 8- मुख्य चिकित्सालय अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- 9- सचिव, विद्युत परानत मॉरेवि, 103 कांते शोखार स्पार्टिगट, 22 स्टेशन
रोड, लखनऊ ।
- 10- कट काइल ।

11/8/05

आज्ञा से,



(रावि प्रकाश मिश्र)
कार्मिक अधिकारी
=====